



63

रिह्वीजन प्रकरण क्र. .... / 2019  
प्रस्तुति दिनांक : 30-01-2019

**माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के न्यायालय में  
केम्प इन्दौर**

निगरानी - 0256/2019/धार/23213

गायत्री परिवार संचालक ग्राम बिड़वाल,  
तहसील बदनावर जिला धार तर्फे अध्यक्ष  
रमेशचन्द्र पिता हीरालाल लक्कड़ पाटीदार,  
आयु - 65 वर्ष, व्यवसाय - कृषि,  
निवासी ग्राम बिड़वाल तहसील बदनावर जिला धार, --- प्रार्थी

6-2-19

विरुद्ध

1. कैलाश पिता गंगाराम कुलमी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि,
2. रामनारायण पिता खेमराज कुलंबी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
3. उमाशंकर लक्ष्मीनारायण पिता हरिराम काछी  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
4. गिरधारीलाल पिता लालजी कुलंबी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि,
5. अशोक आशीष पिता सरदार कुलमी,  
आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
6. रामचन्द्र पिता वरदा चमार,  
उपरोक्त सभी विपक्षीगण क्र. 1 से 6  
सभी निवासी - ग्राम बिड़वाल तहसील बदनावर  
जिला धार (म.प्र.) --- विपक्षीगण


**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959  
के तहत**

यह कि, अधिनस्थ कार्यालय भू-अभिलेख धार जिला धार (म.प्र.) द्वारा  
क्रमांक/2104/सीमां/विविध/2018 दिनांक 10-10-2018 को प्रार्थी  
गायत्री परिवार संचालक बिड़वाल तर्फे अध्यक्ष रमेशचन्द्र पिता हीरालाल

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/256/2019/धार/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-02-19	<p>आवेदक की ओर से श्री ओपीशर्मा, अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । विचारोपरांत म०प्र०भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप सीमांकन आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	